न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

सीताराम बनाम मोहनलाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	86/18 ... आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	23/9/2022	29/9/2022 ... सा. अव... दिनांक 27/9/2022	
वादी की ओर से [illegible] 27/9/2022	27/9/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 7/10/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	7/10/22	पत्रावली आज दिनांक 7/10/2022 पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर है, पत्रावली पूर्[illegible] दिनांक 21/10/2022 को पेश हो।	
	21/10/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण आज भी अनुपस्थित है। आ.ता. पेशी पर अनुपस्थित रहने एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात दिनांक 4-11-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	4/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 [illegible] उपस्थित होने हेतु [illegible] दिये जा चुके है। अतः प्रतिवादी 1, 2, 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी की तहसीलदार आमेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharm
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

ालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सीताराम **बनाम** [illegible]

ा संख्या /वर्ष : 86 /2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की तथा प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **सुनील शर्मा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 86/2018 निर्णय दिनांक 04.11.2022

सीताराम पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा
2. तुलसीराम पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा
3. उमाशंकर पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. भू–धारक तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 04.11.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सीताराम पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्स्से में खसरा नंबर 357 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559/4 रकबा 0.1450 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नेवी ब्लू रंग से दर्शाया गया है।
2. तुलसीराम पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्से में खसरा नंबर 559/3 रकबा 0.3750 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्काई ब्लू रंग से दर्शाया गया है।
3. मोहललाल पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के [illegible] रकबा 0.3750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहे[illegible] जिसे [illegible] नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. उमाशंकर पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्से में खसरा नंब[illegible]9/1 रकबा 0.3750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 86/2018
बउनवानी – सीताराम बनाम मोहनलाल वगै0
निर्णय दिनांक – 04.11.2022

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत ---

ओहदा ---

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 86/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.07.2018

सीताराम पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा
2. तुलसीराम पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा
3. उमाशंकर पुत्र भैरूराम उर्फ भूरा समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. भू–धारक तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा – 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

(1) श्री गजराज कुमार योगी – अधिवक्ता वादी की ओर से

(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनाँकः– 04.11.2022

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राजावास पटवार क्षेत्र नांगलसिरस, भू–अभिलेख क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या नया 245 व पुराना 207 के खसरा नंबर [illegible] रकबा 1.27 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या नया 246 पुराना 228 के खसरा नंबर 357 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.23 हैक्टेयर स्थित है, में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 22.05.2018 को विवादित आराजी कि बिना विधिक तकासमा विभाजन के ही अपने हिस्से से अधिक भूमि पर बाउंड्रीवाल का निर्माण करने हेतु नाप जोख करने लगा जिस पर वादी ने पहले तहसील चलकर सहमति से

तकासमा करने की बात कही जिस पर प्रतिवादी 2 भडक गये और एलानिया धमकी दी कि मैं विवादित आराजी के सबसे अच्छे भाग पर बिना तकासमा के ही पुख्ता निर्माण कर लेंगे और काबिज होंगे जिससे वादकरण उत्पन्न हुआ।

वादी को हक व अधिकार हासिल है कि विवादित आराजी के अपने अभिलिखित शामलाती हिस्से को विधिक विभाजन द्वारा अलग करा लेवे तथा पृथक से खाता लगान व राजस्व नक्शा कायम करवावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद करवायें कि आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करें न ही अपने एजेंट सर्वेंट से करवाये।

अतः वादी द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ग्राम राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित जमाबंदी संवत 2070–2073 आराजी खाता संख्या नया 245 व पुराना 227 के खसरा नंबर 559 रकबा 1.27 है0 में वादी का हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या नया 246 पुराना 228 के खसरा नंबर 357 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 533 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.023 है0 में वादी का हिस्सा 1/4 निहित है का बाई मिट्स एंड बाउण्डस में विधिक विभाजन किया जाकर खाता व नक्शा व लगान पृथक कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें, कोई निर्माण नहीं करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रतिवादीगण की विधिवत तलवी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का शामलाती हिस्सा 3/4 भाग न होकर प्रत्येक हिससेदार अपने अपने भाग पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व लगान भी अदा कर रहे हैं। दिनांक 22.05.2018 को प्रतिवादी द्वारा कोई एलानिया धमकी नहीं दी गई है बल्कि स्वयं वादी ने विशिष्ट भू भाग पर खसरा नंबर 357 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो कि मुख्य सडक से लगती हुई है पर बहुमंजिला इमारत बना ली है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को एलानिया धमकी दी कि संपूर्ण भू भाग पर तुम्हें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने दूंगा। वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार अपने [illegible] पर काश्त करते चले आ रहे है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] कि वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर मौजूदा कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन करने पर मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 21.08.2019 को उभयपक्षो की सहमति के अनुसार वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार आमेर को मुताबिक प्राथमिक डिक्री कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर इस न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस हेतु अनेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

अवसर दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बार–बार अनेक पेशीयो पर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की कुर्रेजात रिपोर्ट पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट, वाद को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सीताराम पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्स्से में खसरा नंबर 357 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 559/4 रकबा 0.1450 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नेवी ब्लू रंग से दर्शाया गया है।
2. तुलसीराम पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्से में खसरा नंबर 559/3 रकबा 0.3750 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्काई ब्लू रंग से दर्शाया गया है।
3. मोहललाल पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्से में खसरा नंबर 559/2 रकबा 0.3750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. उमाशंकर पुत्र भैरूराम जाति ब्राह्मण के हिस्से में खसरा नंबर 559/1 रकबा 0.3750 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3750 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 04.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत –––
ओहदा –––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2	
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		